एक नजर में

40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा,28 पाव प्लेन ,825 किलो तैयार महुआ लहान जब्त

बुरहानपुर। कलेक्टर हर्ष सिंह के आदेश तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री पार्थसारथी शर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी वृत दक्षिण मे आज दिनांक 13/12/2025 को खकनार तुकई थड मेलचुका दर्यापुर ग्रामीण क्षेत्रो मे एवं ढाबो पर अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध दबिश की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, प्लेन देशी मदिरा के 28 पाव एवं लगभग 825 किलो तैयार महुआ लहान जप्त किया गया । जाकर महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गयाण्मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 07प्रकरण कायम कर विवेचना में लिए गए। जप्त शुदा मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 92600/–रूपये है।

कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक शेरसिंह मोरे,मुकुल सिंगाड़े आरक्षक मुकेश सूर्यवंशी ,नरेन्द्र कुमरावत, आरक्षक सलोनी गौड, कैलाश चौहान सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का स्वागत

इच्छापुर। इच्छापुर में जिला किसान कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार बुनगाड का जन्म दिन युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ओद्वारा बडे उत्साह के साथ भी इच्छा. देवी मंदीर परिसर में मनाया गया। जिसमे मुकेश बुनगाड ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर केक काटकर कार्यकर्ताओ ने पुष्प हार से स्वागत किया। मुकेश बुनगाड ने सभी कार्यकर्ताओ का आभार व्यक किया। इस अवसर पर ग्राम वरिष्ठ कांग्रेसी भागवतराव चौहान ,डॉ.रमाकांत पाटील,किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल हवेलीवाले ,निलेश पवार,लखन महाजन,मुन्ना महाजन, ज्ञानेश्वर मेढे, श्रीराम तायडे, पुंडलीक महाजन ,उद्धव पवार ,मुक्तार बागवान , रविन्द्र चौडीया, अमोल चौधुरी , गुणवंतचौधुरी सहीत कार्यकार्ता मौजूद थे ।

वन विभाग की कार्रवाई : अतिक्रमणकारियों की अवैध टपरियों को तोड़ा

नेपानगर। नेपानगर क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा फिर से अतिक्रमण कर टपरियां बनाई जा रही है। वन विभाग की ओर से की जाने वाली नियमित गश्ती में यह टपरियां बनी हुई नजर आ रही है। शनिवार को नेपानगर रेंज की ओर से बोरसल क्षेत्र के कम्पार्टमेंट नंबर 192 में आईएफएस और नेपानगर के प्रभारी रेंजर अजय गुप्ता के नेतृत्व में गश्ती कर कुछ अतिक्रणकारियों की झोपड़ियां तोड़ी गई। जिसे जंगल से ही सागौन की लकड़ियां लाकर बनाया गया था। उसे जब्त कर वन विभाग की टीम ने रेंज कार्यालय पहुंचाया। वहीं क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। अतिर्क्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि वह क्षेत्र से अपना अतिक्रमण हटा लें नहीं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में चार रेंज नेपानगरए नावराए असीर और धूलकोट का वन अमल शामिल था जिसमें परिक्षेत्र सहायक जीएल वास्कलेए दिनेश रावतए संजय त्रिपाठीए मोहन सस्त्यए फॉरेस्ट गार्ड जितेंद्र त्यागीए धर्मवीरसिंह लोधीए रघुरज सोलंकीए ललित अन्नाए संगीता वास्कले आदि मौजूद थे।

क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया गया था अतिक्रमण:–बीते सालों में क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन कटाई की गई थी। करीब तीन साल पहले जिला प्रशासनए पुलिस की मदद से वन विभाग ने बाहरी अतिक्रमणकारियों को क्षेत्र से खदेड़ा था। करीब एक हजार से अधिक टपरियां तोड़ी गई थी। बाहरी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया था। इसके बाद से ही लगातार गश्ती की परंपरा भी चालू हुई जो पहले इतनी नहीं थी। गश्त के कारण दौरान पता चल रही अतिक्रमण की वास्तविकता:–वन विभाग की ओर से वाहनों के अलावा पैदल गश्त भी की जाती है। इस दौरान वास्तविकता पता चल रही है कि कहां कहां अतिक्रमण हो रहा हैए हालांकि ई.नेत्र एप के माध्यम से भी जंगल की मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही अतिक्रमण मिलने पर अब वन विभाग खंतियां भी खोदने का काम कराता है ताकि दूसरी बार उस जगह अतिक्रमण न हो। वन अफसरों का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी अतिक्रमण की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 116वीं कार्यकारी बैठक

बुरहानपुर। गुजरात के सूरत शहर स्थित अखिल भारतीय महापौर परिषद् की 116वीं कार्यकारी बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में देशभर से पधारे महापौरों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के अनुरूप होलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट की अवधारणा पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने फिजिकल एवं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटीए मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

साथ ही शहरी विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में 9 नगरपालिकाओं को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि से भी अवगत कराया। इस अवसर पर मंत्री कनुभाई देसाई जीए सूरत महानगरपालिका के मेयर दक्षेश किशोरभाई मवाणी जी] सूरत सांसद मुकेश दलाल जीए विधायक पुर्णेश मोदी जीए संगीता पाटिल जीए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शना जीए । प्ब्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री आशुतोष वार्ष्णेय जीए भाजपा महानगर प्रमुख श्री परेशभाई जीए डिप्टी मेयर डॉण् नरेंद्र पाटिल जीए राष्ट्रीय महापौर परिषद की अध्यक्ष रेणुबाला गुप्ता राजन पटेल ,नेता शशि बहन जीए महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती शालिनी जीए कलेक्टर श्री सौरव जी सहित 12 राज्यों से 45 महापौर एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। इस बैठक में बुरहानपुर की महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल एवं पूर्व महापौर अतुल पटेल ने भी सहभागिता कर शहरी विकास से जुड़े विषयों पर विचार.विमर्श में सक्रिय योगदान दिया।

लोक अदालत की 7 खंडपीठों में निराकृत हुए 1948 मामले, 6 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर म0प्र0 एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2025 को जिला न्यायालय बुरहानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु कुल 07 खंडपीठ गठित की गई। लोक अदालत के माध्यम से कुल 1948 प्रकरण निराकृत किये गये, जिनमें न्यायालय में लंबित समझौता योग्य 344 प्रकरण एवं प्रिलीटिगेशन से संबंधित बैंकों के प्रकरण, नगरपालिका के सम्पत्ति कर, जलकर तथा विद्युत विभाग, बीएसएनएल के प्रिलिटिगेशन के कुल 1596 मामलों का निराकरण हुआ है। उक्त निराकृत मामलों में 60617094/– रूपये आवार्ड पारित किया गया एवं2353 व्यक्ति लाभान्वित हुये। लोक अदालत में पैरालीगल वॉलेन्टियर्स श्री नंदकिशोर जांगड़े, श्री अताउल्ला खानद्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

नगर निगम द्वारा नेशनल लोक अदालत में राजस्व संपत्तिकर से वसूले 55 लाख 26 हजार

नवभारत न्यूज,बुरहानपुर। नगर निगम बुरहानपुर द्वारा सेवा सदन विधि लॉ कॉलेज में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें सरकार द्वारा समय.समय पर लोक अदालत लगाकर छोटे प्रकरणों को निपटाने की कोशिश करती है। इसमें बकायादारों को लोक अदालत के द्वारा अधिभार 100 फीसदी तक की छूट दी जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने सिर का बोझ कम करने के लिए टैक्स जमा कर देते हैं। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव निगम अध्यक्ष पति द्वारा आज नेशनल लोक अदालत में जाकर निरीक्षण किया गया सभी को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक कर जमा करवाए संपतिकर में 20 प्रतिशत तथा जलकर में 25 प्रतिशत छूट का लाभ उठाकर कई करदाताओं द्वारा उपभोक्ता प्रभार की राशि का जमा कराई। संपत्ति कर राजस्व कर वसूली के लिए आज लोक अदालत लगाई थी। इसके तहत विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को अलग अलग तरह से छूट दी गई। निगम द्वारा संपत्ति कर में छूट देने प्रावधान से एक ही दिन में। 55 लाख रुपए की वसूली हो गई। शाम 06 बजे समाचार लिखे जाने तक यह राशि और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार निगम हर तीन माह में लोक अदालत लगाकर संपत्ति कर में छूट देता है। इसके तहत कर दाताओं को बकाया राशि पर सरचार्ज में छूट दी जाती है। जिसे सरचार्ज कहते है। राशि नहीं भरने वाले कर दाताओं को शासन द्वारा अनुमति लेकर करों में लोक अदालत लगाकर छूट दी जाती है।

नगर निगम ने तय नियम के अनुसार समस्त बकायादारों को संपत्ति कर के सरचार्ज में 25 प्रतिशत की छूट दी है। निगम के सभी 48 वार्डो के टैक्स आर आई के साथ निगम द्वारा कॉलेज में राजस्व संपत्ति कर वसूली के लिए एक दिवसीय लोक अदालत कैम्प लगा रखा है। आज सुबह 10 बजे शुरू हुई लोक अदालत में निगम के खजाने में राजस्व विभाग में 36 प्रकरण सुलझाकर 28 लाख 13 हजार रु तथा संपत्तिकर में 689 प्रकरण सुलझाकर 27 लाख 112 हजार रु वसूल किए गए। शाम छह बजे तक टोटल निगम का कर 55 लाख 26 हजार रुपए की राशि निगम कोष में जमा की गई। निगम के आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक की संपत्तिकर राजस्व वसूली का है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव,अमर यादव,संपत्तिकर अधिकारी धीरेंद्र सिकरवार,राजस्व अधिकारी शशिकांत पवित्रे,पार्षद हमीद डायमंड,संभाजी सगरे,मज्जू मीर, अकिल औलिया, संजय तिवारी ,निगम सी ओ ओ श्याम सुरेश यादव, लिपिक इस्माइल खान ,निगम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। कलेक्टर महोदय बुरहानपुर श्री हर्ष सिंह के निर्देशन तथा जिलाआबकारी अधिकारी श्री पार्थसारथी शर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी दल के द्वारा दिनांक 12/12/2025 को व्रत उत्तर द्वारा ईतवारा गेट, सिंधीपूरा,नागझिरी एवं भोलाना ग्राम मे दबिश की कार्यवाही की गईए कार्यवाही के दौरान 34 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 220 तैयार महुआ लहान जप्त किया गया महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34,1 के तहत 06 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिए गए। जप्त शुदा मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 28800/– रूपये है। कार्यवाही में उप निरीक्षक मुकुल सिंगाड़े, आरक्षक सलोनी गोंड,कैलाश चौहान सम्मिलित रहे। इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

सरपंच पति का बयान, अपने आप में घटना की स्वीकारोत्ति है : डॉ . माने

ज्ञापन की अगुआई करने वाले अपना स्तर न गिरावे

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष डॉ.मनोज माने ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विगत मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर के समय ग्राम पंचायत जैनाबाद में घटी घटना पर कुछ लोग भ्रामक तथ्यों के साथ मीडिया में बयान दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। तीन दिन पूर्व बने सीमेंटिकृत मार्ग के मात्र 20 फीट हिस्से पर उनके ड्राइवर द्वारा ट्रैक्टर ले जाने को लेकर उत्पन्न विवाद पर सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र इंगले द्वारा दिया गया बयान स्वयं उनके द्वारा की गई घटना की स्वीकारोत्ति प्रतीत होता है।

डॉ.माने ने कहा कि बुधवार 10 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय में सरपंच प्रतिनिधि व उनके परिवारजनों एवं समर्थकों के पक्ष में ज्ञापन देने वालों से अनुरोध है कि वे सस्ती लोकप्रियता पाने हेतु तथ्यहीन बयानबाज़ी न करें। यह ध्यान देने योग्य है कि घटना 9 दिसंबर की दोपहर में हुई, जब अधिकांश ग्रामीणजन अपने घरों पर मौजूद थे और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी सार्वजनिक रूप से ग्रामीणों की उपस्थिति में ही हुई। आश्चर्य की बात है कि जो लोग आज मीडिया में गांव की शांति की बात कर रहे हैंए वे घटना के समय से लेकर देर रात तक गांव में मौजूद ही नहीं थे और अब तीन दिन बाद तथ्यों को तोड़.मरोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं।

जारी विज्ञप्ति में डॉ.माने ने बताया कि ड्राइवर द्वारा ट्रैक्टर से सीमेंटिकृत मार्ग के छोटे से हिस्से को पार करने का विषय सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र, उनके परिजनों एवं गांव के उन समर्थक लोगों को किसी महिला और युवती को बंधक बनाने का अधिकार नहीं देता जो कि सरपंच पति महेंद्र और उनके समर्थकों ने घटना दौरान उनकी धर्मपत्नी और पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए किया जाना शर्मनाक बात है। सरपंच पति महेंद्रए महेंद्र के परिजन और साथियों ने उनकी बेटी व पत्नी को गंदी.गंदी गालियां दी गईंए धक्का मुक्की कर मारा गया, जान से मारने की धमकियां दी गईं तथा जबरन घर में धकेलकर बंधक बनाया गया। घटना के समय वे खकनार मंडल में नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद खेल महोत्सव में सम्मिलित थे,जहां से शाम 7.30 बजे लौटने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली।उन्होंने बताया कि घर पहुंचने पर पुत्री द्वारा दी गई जानकारी के बाद उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच, उनके परिवारजनों और समर्थकों के स्थानीय संरक्षकों से दूरभाष पर चर्चा भी की, किंतु उन्होंने घटना को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टा उन्हें ही घटना को भूल जाने की सलाह दे दी। ऐसे गैरजिम्मेदाराना व्यवहार से व्यथित होकर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया, ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। आज मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो कल किसी अन्य की बहन.बेटी और परिवार के साथ ना हो।

डॉ.माने ने अंत में अपील की कि ज्ञापन की अगुआई करने वाले लोग अपना स्तर न गिराएँ और सत्य के प्रति ईमानदार रहें।

जल संचय अभियान के अंतर्गत किया बोरी बंधान

नवभारत न्यूज, ईच्छापुर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला बुरहानपुर ब्लॉक बुरहानपुर के सेक्टर क्रमांक 1 में मां इच्छादेवी बहुउद्देशीय ग्राम विकास समिति इच्छापुर द्वारा ग्राम पंचायत इच्छापुर में जिला समन्वयक श्री मनीष कुवादे सर के निर्देशानुसार व मार्गदर्शन में जल संरक्षण हेतु इच्छापुर नदी में बोरी बंधान किया गयाए साथ में जल संरक्षण हेतु चौपाल का भी आयोजन किया गया। जिसमें मनीष कुवादे जी ने जल संरक्षण के महत्व को समझाया और जल को किस तरह से बचाया जा सकता ह, सभी को अवगत करायाएसाथ ही जल संरक्षण हेतु शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित परामर्शदाता मोहन पवार व माधवी पाटील,नवांकुर समिति से दिपक उदलकर ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति भोटा से पंकज पाटिल,मोहन प्रजापति,मयूर प्रजापति एवं एमएस डब्ल्यू छात्र दिपक महाजन, विश्वजीत ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता,ग्रामीण जन उपस्थित रहे ।

23वाँ ठा .भगवानसिंह स्मृति अलंकरण समारोह 27 दिसंबर को

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। आह्वान कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित ठा.भगवानसिंह स्मृति अलंकरण इस वर्ष 23वीं बार प्रदान किया जा रहा है। समारोह 27 दिसंबर 2025 शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर दो विशिष्ट व्यक्तित्वों राजेंद्रसिंह ठाकुर पूर्व वायुसेना अधिकारी तथा सुनील बाविस्कर कवि एवं साहित्यकार को उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया जाएगा। समारोह में प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को शॉलए श्रीफलए अभिनंदन पत्र एवं 1111/–की नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा अब तक 40 से अधिक विशिष्ट व्यक्तित्वों को इस अलंकरण से सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान प्रतिवर्ष दो व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इस सम्मान परंपरा के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अब तक सम्मानित व्यक्तियों में पत्र लेखक,कवि, गीतकार,जादूगर,संगीतकार,गायक, पत्रकार तथा समाजसेवक जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल रहे हैं।

गोंद की तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, कीमत 2 लाख रूपए

वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई,जब्त गोंद की कीमत करीब 2 लाख रूपए।

नवभारत न्यूज, नेपानगर। वन विभाग की टीम ने दो गोंद तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की हैए जो छोटा हाथी वाहन में अवैध तरीके से गोंद भरकर ले जा रहे थे। 4 क्विंटल और वाहन को जब्त कर लिया गया।

वन विभाग के अनुसर मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। दो आरोपियों जीशान पिता गजमफरए नसीमुद्दीन पिता नईमुद्दीन निवासी बुरहानपुर के खिलाफकेस दर्ज किया गया। सथ ही छोटा हाथी वाहन एमएच 04 जीएफ0781 जब्त कर लिया गया है। गोंद की कीमत लगभग दो लाख रुपए के आसपास है।

खासब बात यह है कि जिस वाहन में गोंद भरकर ले जाया जा रहा था वह गैस कंपनी में गैस सिलेंडर की डिलीवरी के काम आता है। उस पर गैस कंपनी का नाम भी लिखा नजर आया। रात करीब 1ण्40 बजे मुखबिर की सूचना पर वन ग्राम हसनपुरा के नजदीक इंदौर इच्छापुर हाईवे के पास वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय गुप्ता ट्रेनी आईएफएस के नेतृत्व में नेपानगर वन स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर छोटा हाथी वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उसमें सलाई गोंद से भरे लगभग 4 क्विंटल वजन के प्लास्टिक के कट्टे मिले। पूछताछ करने पर वाहन चालक के पास सलाई गोंद परिवहन की अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। उस माल को विधिवत मौके से जब्त किया गया। वन विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफकेस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि वह यह काम कब से कर रहे हैं और माल कहां सप्लाई किया जा रहा था।

जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक संपन्न

नवभारत न्यूज,बुरहानपुर। जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित रही। बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम मार्को की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष गजानन महाजनए जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा तथा अन्य जन प्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्धारित एजेण्डे के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए विभागों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिये गये। जल संरक्षण, आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं,स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विभागवार समीक्षा की गई। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए टैक्स वसूली कार्य को प्राथमिकता एवं पारदर्शिता के साथ गति देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे एवं प्रस्तावित कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पैनाल्टी में छूट का लाभ : लोक अदालतों में जमा हुआ 10 .00 लाख से अधिक टैक्स

शाहपुर। नेशनल अदालत में अधिक से अधिक राशी वसूली कराने के उद्देश्य से अध्यक्ष साधना वीरेन्द्र तिवारी द्वारा करो की चालू एवं बकाया राशी जमा कर अधिभार/ ब्याज में लाभ प्राप्त करने हेतु नगर के करदाताओ से आग्रह किया गया ! नेशनल लोक अदालत के पूर्व अध्यक्ष द्वारा नगर परिषद् के राजस्व विभाग, जल कार्य विभाग के साथ साथ समस्त कर्मचारियों की बैठक आहुत कर नगर के करदाताओ से अधिक से अधिक राशी वसूली करने हेतु निर्देशित किया साथ ही निकाय द्वारा जारी सूचना पत्र अनुसार 1155 प्रकरणों शत प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कर वसूली करने हेतु नगर में करदाताओ से सतत संपर्क कर नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर वसूली जमा करावे। नेशनल लोक अदालत में करो की चालू एवं बकाया राशी जमा कर अधिभारध्ब्याज में लाभ प्राप्त करने हेतु आग्रह किया गया निकाय द्वारा 1155 प्रकरणों में से 480 प्रकरणों का निराकरण कर राशी 10.00 से अधिक की वसूली की गई ! इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिलीप चौहान, आर एस आई रतनसिंग रावत, इश्वर वरखेडे, हिमांशु पाटिल,अनिल वाघे, सिद्धार्थ सिंधे, अभिषेख जवरे,राहुल महाजन, वैभव चौधरी, शेख जावेद, बोंदर सिंह डावर, राजू महाजन, श्रीमती भारती महाजन, कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीमती चन्द्रकला मेढ़े,मयूर धोबी,शुभम सपकाल,भूषण आखरे, चेतन महाजन, विक्की पाटिल, जलकार्य विभाग के कर्मचारी एवं नगर परिषद् के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे !

एक नजर

दिल्ली तक पहुंची भूमि हस्तांतरण की मांग . सांसद के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

नेपा मिल को वन विभाग से मिली भूमि में से 1665 एकड़ भूमि राजस्व में परिवर्तित करने की मांग

नवभारत न्यूज, नेपानगर। वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित किए जाने की मांग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। शुक्रवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के नेतृत्व में नेपानगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय उद्योग मंत्री एसडी कुमारस्वामी से मुलाकात कर मांग की है कि 1949 में नेपा मिल को वन विभाग की ओर से दी गई 1762 एकड़ भूमि में से 1665 एकड़ भूमि राजस्व को दी जाए। इसमें से 107 एकड़ भूमि पर नेपा मिल काबिज है जबकि 1665 एकड़ पर नेपा मिल के आवास निर्मित हैं, लेकिन यह वन भूमि पर स्थित होने से शहर के लोगों को न तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाता है न ही मप्र सरकार की योजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है इसलिए लगातार मांग की जा रही है कि यह वन भूमि राजस्व में परिवर्तित की जाए। केंद्रीय मंत्री ने बात सुनने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इसे लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र की नेपानगर विधानसभा में एशिया की पहली अखबारी कागज मिल नेपा लिमिटेड है। भारत सरकार द्वारा 1949 में 1762 एकड़ वन भूमि मिल को आवंटित की गई थी। इसमें से 1665 राजस्व में परिवर्तित करने के लिए मुझे नेपानगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष की ओर से पत्र देकर अवगत कराया गया है कि जिस पर मैं सहमति व्यक्त करत हूं। इससे लोगों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जमीन राजस्व की होने से उद्योग स्थापना में भी मदद मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा।

सालों से की जा रही मांग:– सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के राजाराम पटेल ने कहा लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि नेपा मिल को दी गई जमीन में से 1665 एकड़ वन भूमि राजस्व में परिवर्तित की जाए ताकि इससे स्थानीय लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा वन भूमि होने से आमजन को पीएम आवास सहित केंद्र और राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सांसद बोले. किन परिस्थितियों में बंद रखा गया उत्पादन:– जमीन राजस्व में परिवर्तित करने की अपील करने के साथ ही सांसद ने यह केंद्रीय मंत्री यह भी कहा कि नेपा लिमिटेड के नवीनीकरण के बाद संस्थान में कागज उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। 35000 मेर्ट्रिक टन पेपर का उत्पाद भी किया गयाए लेकिन आज कौन सी परिस्थिति बनी कि मिल की उत्पादन प्रक्रिया बंद रखी है।

सांसद ने नेपा मिल के मजदूरों की लंबित ग्रेडेशन का लाभए उसकी देनदारियों को जल्द देने की मांग भी रखी। पूरी बात सुनने के बाद केंद्रीय उद्योग मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।